मादक पदार्थों की तस्करी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में त्रिपुरा-मिज़ोरम अंतर-राज्यीय सीमा के पास **26 किलोग्राम से अधिक गांजा के साथ दो कथित महिला तस्करों को गिरफ्तार किया गया।**

- दोनों महिलाओं पर स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम, 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया।

मुख्य बिंदु:

- NDPS अधिनियम, 1985 किसी व्यक्ति को किसी भी **मादक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ का उत्पादन, रखने, बेचने, खरीदने, परिवहन करने, भंडारण करने और/या उपभोग करने से रोकता** है।
  - **NDPS अधिनियम, 1985** के एक प्रावधान **के तहत मादक औषधियों के दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कोष** भी बनाया गया था**,** ताकि अधिनियम के कार्यान्वयन में होने वाले व्यय को पूरा किया जा सके।
- मादक पदार्थों की तस्करी से तात्पर्य **अवैध व्यापार** से है **जिसमें अवैध औषधियों की खेती, निर्माण, वितरण और बिक्री शामिल है।**
  - इसमें कोकीन, हेरोइन, मेथामफेटामाइन और सिंथेटिक ड्रग्स जैसे मादक औषधियों के उत्पादन के साथ-साथ इन पदार्थों के परिवहन तथा वितरण सहित अवैध ड्रग व्यापार से जुड़ी **कई तरह की गतिविधियाँ शामिल हैं।**
  - नशीली दवाओं की तस्करी **आपराधिक संगठनों के एक जटिल नेटवर्क के भीतर संचालित** होती है जो सीमाओं, क्षेत्रों और यहाँ तक कि महाद्वीपों में फैली हुई है।

कैनबिस

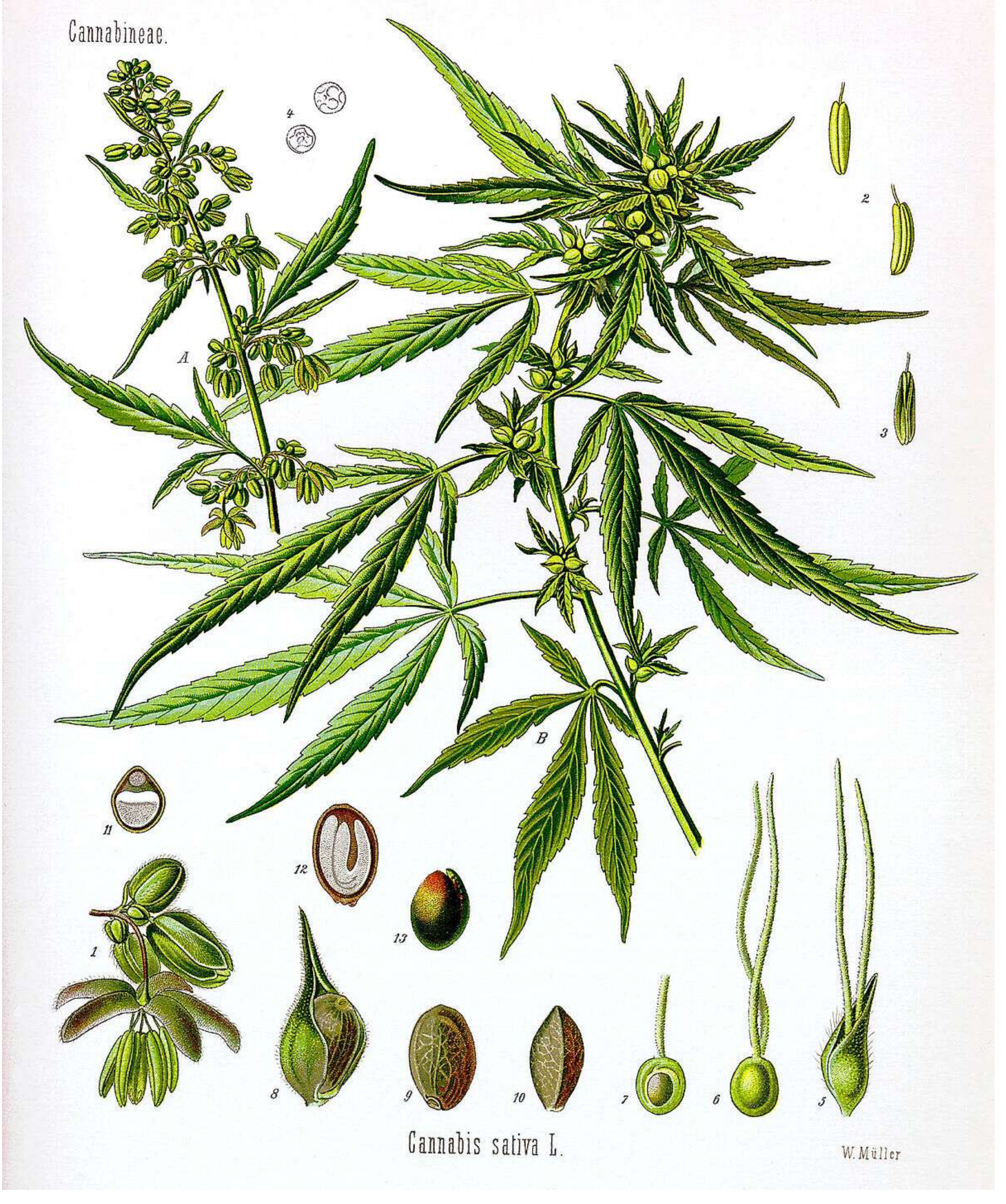

- [विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)]() के अनुसार, कैनबिस एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग कैनबिस सैटाईवा नामक पादप की कई मन:प्रभावी गुणों को दर्शाने के लिये किया जाता है।
    - WHO के अनुसार, **कैनबिस** विश्व में अब तक की **सबसे व्यापक रूप से खेती, तस्करी और दुरुपयोग की जाने वाली अवैध औषधि** है।
    - कैनबिस की अधिकांश प्रजातियाँ द्विलिंगी पादप हैं जिन्हें नर या मादा पादप के रूप में पहचाना जा सकता है। परागण रहित मादा पौधों को हशीश कहा जाता है।
- कैनबिस में प्रमुख मन:प्रभावी घटक **डेल्टा9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल (THC)** है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/drug-trafficking-2